समाहरणालय, मुंगेर
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री चिराग पासवान (जमुई लोक सभा क्षेत्र) के सांसद निधि के अधीन अनुशसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर द्वारा तकनीकि अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। माननीय सांसद द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर सहमति प्रदान की गयी है। नोडल जिला से योजना के कार्यान्वयन हेतु रा प्राप्त हो चुकी है।

सम्यक विचारोपरांत तकनीकि अनुमोदन के आलोक में स्तम्भ 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। योजना कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा द्वारा कराई जाएगी। **माननीय सांसद को कार्य प्रारंभ करने एवं शिलान्यास की तिथि से अवगत करायेंगे।**

क्र0 स0	योजना का नाम	प्रखंड / नगर निकाय	तकनीकी स्वी0 राशि (रूपये में)	प्रशासनिक स्वी0 राशि (रूपये में)	विमुक्त की जा रही राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
01	ग्राम पंचायत पडभरा प्रखंड तारापुर मे उत्तर टोला मे छठ घाट का निर्माण	तारापुर	580700.00	580700.00	435525.00
02	ग्राम बनहरा प्रखंड तारापुर जिला मुंगेर बिहार मे बनहरा ग्राम में पुल से श्रवण कुमार सिंह पक्स अध्यक्ष के घर तक पी0सी0सी0 सडक का निर्माण	टेटियाबम्बर	688100.00	688100.00	516075.00
03	ग्राम मनु बिहार भगलपुरा पंचायत खैरा वार्ड नं0–10 थाना तारापुर जिला मुंगेर बिहार में एक सामदुायिक भवन का निर्माण	तारापुर	491900.00	491900.00	368925.00
04	ग्राम लखनपुर पंचायत मानिकपुर प्रखंड तारापुर जिला मुंगेर बिहार में लखनपुर पश्चिम मुहल्ला में इमबाडा के पास एक सामुदायिक भवन का निर्माण	तारापुर	491900.00	491900.00	368925.00
05	ग्राम अफजलनगर टोला राघोपुर प्रखंड तारापुर जिला मुंगेर बिहार में राघोपुर के खरजा के निकट कलामंच का निर्माण	तारापुर	545600.00	545600.00	409200.00
06	ग्राम पियारपुर वार्ड नं0 03 पो0 भगलपुरा थाना व प्रखंड तारापुर जिला मुंगेर बिहार मे एक सामुदायिक भवन का निर्माण	तारापुर	491900.00	491900.00	368925.00
07	ग्राम लखनपुर प्रखंड तारापुर मे शकुनी चौधरी घर के निकट हनुमान मंदिर से होते हुए पोखर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	तारापुर	424900.00	424900.00	318675.00
		योग–	**3715000.00**	**3715000.00**	**2786250.00**

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0–2786250.00 (सताईस लाख छियासी हजार दो सौ पचास) रू0 मात्र।

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेगे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओ का कार्य निविदा द्वारा प्राक्क्लन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना

3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, सवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो, किसी भी परिस्थिति में निजी/रैयती जमीन पर योजना कार्यान्वित नही करायी जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्णित कार्य पिछले पांच वर्षो से किसी अन्य मद से नही कराया गया हो।
10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एसेंसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगे कि राज्य सरकार के स्तर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।
12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णतः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो तथा माननीय सांसद द्वारा अनुशंसित/चयनित स्थल पर ही योजना का कियान्वयन हो।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 609 / जि0यो0, दिनाक 05-9-18

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि— नाजिर, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को हस्तगत कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि— माननीय सांसद, श्री चिराग पासवान, 12 जनपथ, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.9.18
जिला योजना पदाधिकारी